POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 04.09.2025

1.थाना बिसरख पुलिस द्वारा 50,000 (पचास हजार) रूपये का इनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त इमरान उर्फ तोतला पुत्र नूर मोहम्मद खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर व उसके सहअभियुक्तों द्वारा भारत में बिना वीजा के प्रवेश कर भारतीय सिम कार्ड विभिन्न कम्पनियों (जियो, बीएसएनएल, एयरटेल, वीआई) को फर्जी आईडी पर लेकर एक्टीवेट कर मोबाइल पर आये हुये एसएमएस/ओटीपी आदि सूचनाओ को फिजीऐप (चाइनीज एप) के द्वारा व्हाट्सएप/ओटीपी तथा अन्य कार्यों के लिये कम्बोडिया देश में बैठे चीनी नागरिको को भेजते है। जिसके उपरान्त वहां से भारत में प्रसिद्ध कंपनियों का पर्सनल डाटा हैक कर भारत में रहने वाले व्यक्तियों के साथ साइबर फ्रॉड कर ठगी करते है। इसके अलावा भारतीय व्यक्तियों को कम्प्यूटर ऑपरेटर की नौकरी का झांसा देकर विदेश पहुँच जाने पर उनसे भारतीय कंपनियों तथा नागरिकों से ठगी करने का कार्य कराते हैं, ठगी करने से मना करने पर विदेशी पुलिस से गिरफ्तार करा देते है। जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 156/2024 धारा 420/467/468/471/120बी 370(3) भादवि तथा 14 विदेशी विषयक अधि0 पंजीकृत है। घटना से सम्बन्धित पूर्व में एक चीनी नागरिक SU YOUMING, एक नेपाली नागरिक अनिल थापा मगर व एक भारतीय नागरिक विनोद उर्फ अगस्तय भाटी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त इमरान उपरोक्त लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस उच्चाधिकारीगण द्वारा 50,000 रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 04.09.2025 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त इमरान तोतला पुत्र नूर मोहम्मद को चार मूर्ति की तरफ जाने वाली सर्विस लेन से **गिरफ्तार** किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. इमरान तोतला पुत्र नूर मोहम्मद निवासी आपदा मोहल्ला खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 32 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 1138/2021 धारा 452,504/506 भादवि थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर।
2. मु0अ0सं0 350/2023 धारा 13 जुआ अधि0 थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर।
3. मु0अ0सं0 156/2024 धारा 420/467/468/471/120बी 370(3) भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।